...लूसिंह बनाम हाजी सखी खां

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
23/12/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यावाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार गडरारोड़ की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की कयसुदा खातेदारी भूमि मौजा चाहडीयाली पटवार हल्का आसाडी तह0 गडरारोड़ के खसरा नम्बर 1064/980 रकबा 40.00 बीघा आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। विप्रार्थी सख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत प्रार्थी के पडोस मे खसरा नम्बर कमशः 980, 1062/980, 1063/980 रकबा कमशः 54.00, 40.00, 54.09 बीघा के आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के उक्त खसरे मुल खसरा नम्बर 980 के रूप में राजस्व रैकर्ड में विभाजन से पूर्व में सामिलाती थे। उक्त भूमि पटवार मण्डल आसाडी का लट्ठा ट्रेस नष्ट हो जाने के कारण तत्तकालीन हल्का पटवारी द्वारा मौजा चाहडीयाली का नया नक्शा ट्रेस तैयार किया गया उस समय मुझ प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही हल्का पटवारी द्वारा कब्जे काश्त के संबंध में मौका मुआयना किया गया। उक्त भूमि के लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम व पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी ने उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के विरूद्व दिनांक 14.11.19 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री बालाराम गोदारा उपस्थित होकर वकालातनाम मय ईकबाली जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया की विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा नम्बर 1063/980 रकबा 54.09 की तरमीम प्रार्थी के साथ में दुरूस्त किये जाने मे अपनी सहमती प्रदान की है। हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ को सुना व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत सहमत है। मौका फर्द के संलग्न वर्तमान तरमीम अनुसार नक्शा ट्रेंस तथा वास्तविक राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा स्थिति में काफी अन्तर है। दोनो में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से विवादित भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम दुरूस्त किया जाना अदालत उचित समझती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि मौजा चाहडीयाली पटवार हल्का आसाडी तह0 गडरारोड़ के खसरा नम्बर 1064/980 रकबा 40.00 बीघा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत प्रार्थी के पडोस में खसरा नम्बर 980, 1062/980, 1063/980 रकबा कमशः 54.00, 40.00, 54.09 बीघा तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के उक्त खसरे मूल खसरा नम्बर 980 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका फर्द के संलग्न निरीक्षक भू– अभिलेख गिराब द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा मे परिशिष्ट ब अनुसार दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते है।	

उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner

तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:38:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: